

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार,  
विशेष सचिव

सेवा में

प्रधान सचिव,  
कृषि विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- 6/5/2015

विषय:- माह फरवरी -मार्च 2015 में ओलापात से क्षतिग्रस्त फसलों हेतु गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245-02-114-0001- कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) आवंटित राशि के विरुद्ध जिलों में आव यकता से अधिक उपावंटित राशि प्रत्यर्पित करने हेतु जिलों को निदेशित करने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आपके द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष- 2245-02-114-0001- कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) के अन्तर्गत विभागीय आवंटन पत्रांक 3(स0अनु0)/आ0प्र0 दिनांक 22.04.2015 द्वारा 16.08 करोड़, 14(स0अनु0)/आ0प्र0 दिनांक 26.04.2015 द्वारा 400.00 करोड़ तथा 16(स0अनु0)/आ0प्र0 दिनांक 30.04.2015 द्वारा 200.00 करोड़ कुल 616.08 करोड़ (छः अरब सोलह करोड़ आठ लाख रूपये) आवंटित किया गया। उक्त आवंटित राशि के विरुद्ध कृषि विभाग के पत्रांक 7 (आवंटन)/कृ0 दिनांक 27.04.2015 द्वारा 413.08 करोड़ एवं 8 (आवंटन)/कृ0 दिनांक 01.05.2015 द्वारा 188.00 करोड़ कुल 601.08 करोड़ (छः अरब एक करोड़ आठ लाख रूपये) राज्य के 37 जिलों (गोपालगंज छोड़कर) को उपावंटित किया गया।

2. ओलावृष्टिसे फसल क्षति के मद्देनजर कृषि विभाग के पत्रांक 7 (आवंटन)/कृ0 दिनांक 27.04.2015 एवं 8 (आवंटन)/कृ0 दिनांक 01.05.2015 द्वारा गया जिला को कुल 12.0132 करोड़ उपावंटित किया गया है। सी0टी0एम0आई0एस0 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार गया जिला द्वारा दिनांक 05.05.2015 तक 1.5561 करोड़ की निकासी की गई है तथा 1.16 करोड़ का व्यय प्रतिवेदित किया गया है। जिला पदाधिकारी, गया द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उक्त व्यय की गई राशि के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति अन्य जिलों में भी हो सकती है। इस प्रकार जिलों को राशि उपावंटित करने के बावजूद जिलों में एक बड़ी राशि अव्ययित रहने की संभावना है।


3. उपर्युक्त के आलोक में जिलों को यह निदेशित करने की आवश्यकता है कि उपावंटित राशि के विरुद्ध वास्तविक खर्च किया जाय तथा बची हुई उपावंटित राशि के आवंटन को विभाग को वापस कर दिया जाय। साथ ही यदि राशि की निकासी कर ली गई हो, तो चालान के माध्यम से उसे संबंधित शीर्ष में जमा करते हुए कृषि विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग को सूचित किया जाय।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि जिलों द्वारा प्रत्यर्पित राशि को समेकित कर विभाग को आवंटन प्रत्यर्पित किया जाय।

विश्वासभाजन  
  
(अनिरुद्ध कुमार)


ज्ञापांक.....1680...../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक 6/5/2015  
प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव




विशेष सचिव

ज्ञापांक.....1680...../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक 6/5/2015  
प्रतिलिपि कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।




विशेष सचिव

ज्ञापांक.....1680...../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक 6/5/2015  
प्रतिलिपि विकास आयुक्त, बिहार /प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।




विशेष सचिव

ज्ञापांक.....1680...../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक 6/5/2015  
प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।




विशेष सचिव

ज्ञापांक.....1680...../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक 6/5/2015  
प्रतिलिपि श्री चंचल कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।



विशेष सचिव

ज्ञापांक.....1680...../आ0प्र0 पटना-15, दिनांक 6/5/2015  
प्रतिलिपि माननीया मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



विशेष सचिव